



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-2717/MRLY/45/2025-RU-IV

दिनांक :22.10.2025

सेवा में

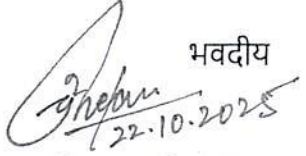
श्री सीताराम मीना,
सहायक उप निरीक्षक,
आरपीएफ डिवीजन राजकोट वेरेलवे.,
पोस्ट(गुजरात) मोरवी-
Mobile No:8390718935

विषय: आरपीएफ में नौकरी के दौरान ऑनड्यूटी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अवकाश स्वीकृत नहीं कर प्रार्थी को बिना वेतन (pay withdrawal) के स्थानान्तरित कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने एवं प्रताड़ित करने के सम्बंध में।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **31.10.2025 समय 11.20 Hrs** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading